पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई । अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि मृतक रेस्पो0 संख्या 1/2 मदन पुत्र रतना के वारिसान की सूचना रेस्पो0 द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जावे ।

उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब रेस्पो0 अधिवक्ता ने पेश कर कथन किया कि मदन पुत्र रतना अपीलांट के गांव का है, एक ही जाति समाज के है, अपीलांट को वारिसान की पूर्ण जानकारी है तथा मदन पुत्र रतना का स्वर्गवास 2 साल पूर्व ही हो चुका है केवल मात्र अंदर मियाद लाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि अपीलांट का स्वंय का दायित्व है कि समयावधि के अंदर वारिसान का प्रार्थना पत्र पेश करे । इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया । अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 एक ही जाति समाज के है तथा पास–पास के गांव के निवासी है । यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांट को मृतक के वारिसान की जानकारी नहीं हो । अपीलांट का स्वंय का यह दायित्व है कि समय अवधि के भीतर मृतक के कायम मुकाम की कार्यवाही करते परन्तु रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा दिनाक 18.9.2018 को न्यायालय में सूचना दिए जाने के बावजूद भी निर्धारित समयावधि के भीतर कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया । इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 5 भंवरा पुत्र रामा की मृत्यु की सूचना भी रेस्पो0 द्वारा दिनांक 21.10.2011 को दे दी गई थी परन्तु आवेदन पत्र दिनांक 28.1.2014 को प्रस्तुत किया गया जो भी उपशमन के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है ।

इसी प्रकार रेस्पो0 रेस्पो0 मांगू पुत्र हजारी के स्वर्गवास की सूचना रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.7.2012 को दी गई थी उसके बावजूद भी कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.1.2014 को प्रस्तुत किया गया है ।

अपीलाधीन भूमि में उपरोक्त तीनों मृतकों का हित व वाद कारण संयुक्त व अविभाजित होने के कारण अपील संपूर्ण रूप से उपशमित होना पाया जाता है ।

अतः उपरोक्तानुसार अपील उपशमित हो जाने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।